

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :-539/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सान्दे मुण्डा

- विक्रेता

सरस्वती देवी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
14.11.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक सान्दे मुण्डा पिता बोआस मुण्डा ग्राम-मुरही केन्दुवाटोली, पोस्ट-भण्डरा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सरस्वती देवी पति गिरधारी मुण्डा ग्राम-रेमता, पोस्ट-तारोसिलादोन, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="263 728 1396 817"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डहुगुटू</td> <td>89</td> <td>32</td> <td>02</td> <td>0.07</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 032131 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1061 दिनांक 10.11.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम चुनेआ मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार सान्दे मुण्डा के नाम भूमि का रकबा 0.27 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.27 एकड़ भूमि के अलावा अन्य मौजा मुरही रकबा 2.73 एकड़ भूमि कुल रकबा 3.00 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 64336.00(चौसठ हजार तीन सौ छत्तीस)रु० भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.93 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सान्दे मुण्डा पिता बोआस मुण्डा को सरस्वती देवी पति गिरधारी मुण्डा के साथ ग्राम डहुगुटू के खाता सं० 32 खेसरा संख्या 02 कुल रकबा 0.07 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 64336.00(चौसठ हजार तीन सौ छत्तीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	डहुगुटू	89	32	02	0.07	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
डहुगुटू	89	32	02	0.07								